G.C.M.S.
2024/392

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

31/5/24

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (राज.)
तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम औ. मु. रास्ता (ग्राम चला)
(चला-ठिकरिया सड़क से पश्चिम की तरफ)
किस्म मुकदमा औ. मु. रास्ता (धारा 131, 132) नम्बर 166 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/4/2024	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से औ. मु. रास्ता धारा 131 व 132 राज. भू राजस्व अधि. 1956 में रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे तमाम पक्षकारान/खातेदारान को मय नोटिस जरिये रजि. डाक से तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16/5/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/5/24 को पेश हो।	
5/2024	पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक रीडर/2024/508 [illegible] आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का [illegible] में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम [illegible] तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि [illegible] में 04 मीटर चौड़ा व 202 मीटर [illegible] कुल [illegible] मीटर रास्ता चला–ठिकरिया सड़क से पश्चिम की तरफ तक रास्ता का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटो ग्राफ व खातेदारान के मध्य हुये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:37:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो हुक्म तामील
	इकरारनामा की प्रति सलग्ंन पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना नीमकाथाना (राज०) Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2024.07.16 16:37:11 IST Reason: Self Attested	

Scanned with OKEN Scanner